वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक, 2025 की व्याख्या

****

8 अगस्त, 2024 को लोकसभा में दो विधेयक, **वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक, 2025 और मुसलमान वक़्फ़ (निरसन) विधेयक, 2024** पेश किए गए, जिनका उद्देश्य वक्फ बोर्ड के काम को सुव्यवस्थित करना और वक्फ संपत्तियों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना है।

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 का उद्देश्य वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करना है, ताकि वक्फ संपत्तियों के विनियमन और प्रबंधन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का समाधान किया जा सके। संशोधन विधेयक का उद्देश्य देश में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना है। इसका उद्देश्य है:

- पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और अधिनियम का नाम बदलने जैसे बदलाव करके वक्फ बोर्डों की कार्यकुशलता को बेहतर करना
- वक्फ की परिभाषाओं को अद्यतन करना
- पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करना
- वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ाना

निम्नलिखित पूछे जाने वाले प्रश्न वक्फ संशोधन 2025 विधेयक को समझने में मदद करते हैं।

1) भारत में वक्फ प्रबंधन के लिए जिम्मेदार प्रशासनिक निकाय कौन से हैं और उनकी भूमिकाएँ क्या हैं?

भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रशासन वर्तमान में वक्फ अधिनियम, 1995 द्वारा शासित है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित और विनियमित किया जाता है। वक्फ प्रबंधन में शामिल प्रमुख प्रशासनिक निकायों में शामिल हैं:

केंद्र सरकार द्वारा लागू वक्फ अधिनियम 1995 वर्तमान में वक्फ संपत्तियों को विनियमित करता है। मुख्य प्रशासनिक निकाय हैं:

 केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी) - सरकार और राज्य वक्फ बोर्डों को नीति पर सलाह देती है, लेकिन वक्फ संपत्तियों को सीधे नियंत्रित नहीं करती है।

- राज्य वक्फ बोर्ड (एसडब्ल्यूबी) - प्रत्येक राज्य में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और सुरक्षा करते हैं।

- वक्फ न्यायाधिकरण - विशेष न्यायिक निकाय, जो वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों को संभालते हैं।

  यह प्रणाली बेहतर प्रबंधन और मुद्दों के तेज़ समाधान को सुनिश्चित करती है। पिछले कुछ वर्षों में, कानूनी बदलावों ने वक्फ प्रशासन को अधिक पारदर्शी, कुशल और जवाबदेह बना दिया है।

2) वक्फ बोर्ड से संबंधित मुद्दे क्या हैं?

<u>1. वक्फ संपत्तियों की अपरिवर्तनीयता</u>

- "एक बार वक्फ, हमेशा वक्फ" के सिद्धांत ने विवादों को जन्म दिया है, जैसे कि बेट द्वारका में द्वीपों पर दावे, जिन्हें अदालतों ने भी उलझन भरा माना है।

<u>2. कानूनी विवाद और कुप्रबंधन:</u> वक्फ अधिनियम, 1995 और इसका 2013 का संशोधन प्रभावकारी नहीं रहा है। कुछ समस्याओं में शामिल हैं:

- वक्फ भूमि पर अवैध कब्ज़ा
- कुप्रबंधन और स्वामित्व विवाद
- संपत्ति पंजीकरण और सर्वेक्षण में देरी
- बड़े पैमाने पर मुकदमे और मंत्रालय को शिकायतें

3. कोई न्यायिक निगरानी नहीं

- वक्फ न्यायाधिकरणों द्वारा लिए गए निर्णयों को उच्च न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती।
- इससे वक्फ प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही कम हो जाती है।

4. वक्फ संपत्तियों का अधूरा सर्वेक्षण

- सर्वेक्षण आयुक्त का काम खराब रहा है, जिससे देरी हुई है।
- गुजरात और उत्तराखंड जैसे राज्यों में अभी तक सर्वेक्षण शुरू नहीं हुआ है।
- उत्तर प्रदेश में 2014 में आदेशित सर्वेक्षण अभी भी लंबित है।
- विशेषज्ञता की कमी और राजस्व विभाग के साथ खराब समन्वय ने पंजीकरण प्रक्रिया को धीमा कर दिया है।

5. वक्फ कानूनों का दुरुपयोग

- कुछ राज्य वक्फ बोर्डों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, जिसकी वजह से सामुदायिक तनाव पैदा हुआ है।
- निजी संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए वक्फ अधिनियम की धारा 40 का व्यापक रूप से दुरुपयोग किया गया है, जिससे कानूनी लड़ाई और अशांति पैदा हुई है।
- 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, केवल 8 राज्यों द्वारा डेटा दिया गया, जहां धारा 40 के तहत 515 संपत्तियों को वक्फ घोषित किया गया है।

6. वक्फ अधिनियम की संवैधानिक वैधता

- वक्फ अधिनियम केवल एक धर्म पर लागू होता है, जबकि अन्य के लिए कोई समान कानून मौजूद नहीं है।
- दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है, जिसमें सवाल उठाया गया है कि क्या वक्फ अधिनियम संवैधानिक है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

3) विधेयक पेश करने से पहले मंत्रालय ने क्या कदम उठाए और हितधारकों से क्या परामर्श किया?

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने विभिन्न हितधारकों से परामर्श किया, जिसमें सच्चर समिति की रिपोर्ट, जन प्रतिनिधियों, मीडिया और आम जनता द्वारा कुप्रबंधन, वक्फ अधिनियम की शक्तियों के दुरुपयोग और वक्फ संस्थाओं द्वारा वक्फ संपत्तियों के कम उपयोग के बारे में उठाई गई चिंताएं शामिल हैं। मंत्रालय ने राज्य वक्फ बोर्डों से भी परामर्श किया।

मंत्रालय ने वक्फ अधिनियम, 1995 के प्रावधानों की समीक्षा की प्रक्रिया शुरू की और हितधारकों के साथ परामर्श किया। दो बैठकें आयोजित की गईं- एक **24.07.2023** को लखनऊ में और दूसरी **20.07.2023** को नई दिल्ली में, जिसमें निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रभावित हितधारकों की समस्याओं को हल करने के लिए इस अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने के लिए आम सहमति बनी।

- सीडब्ल्यूसी (केंद्रीय वक्फ परिषद) और एसडब्ल्यूबी (राज्य वक्फ बोर्ड) की संरचना का आधार बढ़ाना
- मुतवल्लियों की भूमिका और जिम्मेदारियां
- न्यायाधिकरणों का पुनर्गठन
- पंजीकरण की प्रक्रिया में सुधार
- टाइटल्स की घोषणा
- वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण
- वक्फ संपत्तियों का म्यूटेशन
- मुतवल्लियों द्वारा खातों फाइलिंग
- वार्षिक खाता फाइलिंग में सुधार
- निष्क्रांत संपत्तियों/परिसीमा अधिनियम से संबंधित प्रावधानों की समीक्षा
- वक्फ संपत्तियों का वैज्ञानिक प्रबंधन

इसके अलावा, मंत्रालय ने सऊदी अरब, मिस्र, कुवैत, ओमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की जैसे अन्य देशों में वक्फ प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं का भी विश्लेषण किया है और पाया है

कि वक्फ संपत्तियों को आम तौर पर सरकार द्वारा स्थापित कानूनों और संस्थानों द्वारा विनियमित किया जाता है।

4) वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पेश करने की प्रक्रिया क्या थी?

• वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को वक्फ संपत्तियों के **प्रबंधन और शासन में कमियों को संबोधित करने के प्राथमिक उद्देश्य से 8 अगस्त, 2024** को पेश किया गया था।
• **9 अगस्त, 2024** को संसद के दोनों सदनों ने विधेयक को **21 लोकसभा और 10 राज्यसभा सदस्यों** की एक संयुक्त समिति को जांचने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए भेजा।
• विधेयक के महत्व और इसके व्यापक निहितार्थों को ध्यान में रखते हुए, समिति ने उक्त विधेयक के प्रावधानों पर आम जनता और विशेष रूप से विशेषज्ञों/हितधारकों और अन्य संबंधित संगठनों से विचार प्राप्त करने के लिए ज्ञापन आमंत्रित करने का निर्णय लिया था।
• संयुक्त संसदीय समिति ने **छत्तीस बैठकें** कीं, जिसमें उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों के विचार/सुझाव सुने जैसे: अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, विधि एवं न्याय, रेलवे (रेलवे बोर्ड), आवास और शहरी मामलों, सड़क परिवहन और राजमार्ग, संस्कृति (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण), राज्य सरकारें, राज्य वक्फ बोर्ड और विशेषज्ञ/हितधारक।
• पहली बैठक **22 अगस्त, 2024** को हुई और बैठकों के दौरान जिन प्रमुख संगठनों/हितधारकों से परामर्श किया गया, वे थे:

- ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा, मुंबई;
- इंडियन मुस्लिम्ज़ ऑफ सिविल राइट्स (आईएमसीआर), नई दिल्ली
- मुत्तहेदा मजलिस-ए-उलेमा, जेएंडके (मीरवाइज उमर फारूक)
- जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया
- अंजुमन ए शीतली दाऊदी बोहरा समुदाय
- चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पटना
- ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज, दिल्ली
- ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी), दिल्ली
- ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल (एआईएसएससी), अजमेर
- मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, दिल्ली

- मुस्लिम महिला बौद्धिक समूह - डॉ. शालिनी अली, राष्ट्रीय संयोजक
- जमीयत उलमा-ए-हिंद, दिल्ली
- शिया मुस्लिम धर्मगुरु और बौद्धिक समूह
- दारुल उलूम देवबंद

• समिति को भौतिक और डिजिटल दोनों तरीकों से कुल **97,27,772** ज्ञापन प्राप्त हुए।

• **वक्फ संशोधन विधेयक, 2025** की गहन समीक्षा करने के लिए, समिति ने देश के कई शहरों में **विस्तृत अध्ययन दौरे** किए। इन दौरों से सदस्यों को हितधारकों से जुड़ने, जमीनी हकीकत का आकलन करने और वक्फ संपत्ति प्रबंधन पर क्षेत्र-विशिष्ट जानकारी जुटाने में मदद मिली। 10 शहरों में अध्ययन दौरों का विवरण इस प्रकार है:

- **26 सितंबर-1 अक्टूबर, 2024:** मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु
- **9-11 नवंबर, 2024:** गुवाहाटी, भुवनेश्वर
- **18-21 जनवरी, 2025:** पटना, कोलकाता, लखनऊ

• समिति ने प्रशासनिक चुनौतियों और कानूनी बाधाओं पर चर्चा करने के लिए **25 राज्य वक्फ बोर्डों (दिल्ली में 7, दौरे के दौरान 18)** से परामर्श किया।

• इसके बाद, संयुक्त समिति ने **27 जनवरी, 2025** को आयोजित अपनी 37वीं बैठक में विधेयक के सभी खंडों पर खंडवार विचार-विमर्श पूरा किया। सदस्यों द्वारा प्रस्तुत संशोधनों पर मतदान हुआ और उन्हें बहुमत से स्वीकार किया गया।

• मसौदा रिपोर्ट को स्वीकार किया गया और अध्यक्ष को उनकी ओर से रिपोर्ट पेश करने के लिए अधिकृत किया गया। 38वीं बैठक **29 जनवरी, 2025** को आयोजित की गई।

• संयुक्त समिति ने 31.01.2025 को अपनी रिपोर्ट लोकसभा के माननीय अध्यक्ष को सौंपी और **13 फरवरी, 2025** को संसद के दोनों सदनों में यह रिपोर्ट रखी गई।

5) वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के कुछ प्रमुख सुधार क्या हैं?

इस विधेयक, 2025 के तहत प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य बेहतर प्रशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करके देश में वक्फ प्रशासन में बदलाव लाना है। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक सुव्यवस्थित, प्रौद्योगिकी-संचालित और कानूनी रूप से मजबूत फ्रेमवर्क तैयार करना है और साथ ही लक्षित लाभार्थियों के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

1. **एकीकृत वक्फ प्रबंधन:** वक्फ संपत्तियों को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों में शामिल हैं:

- वक्फ संपत्तियों का अधूरा सर्वेक्षण
- ट्रिब्यूनल और वक्फ बोर्डों में मुकदमों का काफी बैकलॉग
- मुतवल्लियों का अनुचित लेखा, लेखा परीक्षा और निगरानी
- सभी वक्फ संपत्तियों का म्यूटेशन ठीक से नहीं किया गया है

2. **केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों का सशक्तिकरण:**

- प्रतिनिधित्व और दक्षता बढ़ाने के लिए निर्णय लेने में गैर-मुस्लिम, अन्य मुस्लिम समुदायों, मुस्लिम समुदायों के बीच अन्य पिछड़े वर्गों और महिलाओं आदि जैसे विविध समूहों को शामिल करना।

3. **राज्य वक्फ बोर्डों की दक्षता:**

- एक डिजिटल पोर्टल और डेटाबेस वक्फ पंजीकरण, सर्वेक्षण, म्यूटेशन, ऑडिट, लीज़िंग और मुकदमेबाजी को स्वचालित करेगा, जिससे वैज्ञानिक, कुशल और पारदर्शी शासन सुनिश्चित होगा।

4. **औक़ाफ़ं का विकास:**

- पोर्टल-आधारित जीवनचक्र प्रबंधन प्रशासन को सुव्यवस्थित करेगा।
- धारा 65 के तहत वक्फ बोर्ड को छह महीने के भीतर प्रबंधन और आय में सुधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है, ताकि समय पर कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।
- धारा 32(4) वक्फ बोर्ड को आवश्यकता पड़ने पर मुतवल्लियों से संपत्ति लेकर वक्फ भूमि को शैक्षणिक संस्थानों, शॉपिंग सेंटरों, बाजारों या आवासों के रूप में विकसित करने की अनुमति देती है।

6) वक्फ विधेयक 1995 और वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के बीच मुख्य अंतर क्या हैं?

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 वक्फ अधिनियम, 1995 में कई बदलाव पेश करता है, जिसका उद्देश्य वक्फ प्रबंधन में बेहतर प्रशासन, पारदर्शिता और समावेशिता लाना है। नीचे मुख्य अंतर दिए गए हैं:

श्रेणी	वक्फ अधिनियम, 1995	वक्फ संशोधन विधेयक, 2025
अधिनियम का नाम	क्फ अधिनियम, 1995	इसका नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 कर दिया गया है
वक्फ का गठन	घोषणा, उपयोगकर्ता या बंदोबस्ती (वक्फ-अलल-औलाद) द्वारा अनुमति दी गई	उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को हटा दिया गया है; केवल घोषणा या बंदोबस्ती की अनुमति है। दानकर्ता को 5+ वर्षों से मुस्लिम होना चाहिए। महिला उत्तराधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता
वक्फ के रूप में सरकारी संपत्ति	कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं	वक्फ के रूप में पहचानी गई सरकारी संपत्तियां वक्फ नहीं रह जाती हैं। विवादों का समाधान कलेक्टर द्वारा किया जाता है, जो राज्य को रिपोर्ट करता है
वक्फ निर्धारण की शक्ति	वक्फ बोर्ड के पास अधिकार था	प्रावधान हटा दिया गया.
वक्फ का सर्वेक्षण	सर्वेक्षण आयुक्तों और अपर आयुक्त द्वारा संचालित	कलेक्टरों को संबंधित राज्यों के राजस्व कानूनों के अनुसार सर्वेक्षण करने का अधिकार दिया गया है
केंद्रीय वक्फ परिषद	सभी सदस्यों को मुस्लिम होना चाहिए, जिसमें दो महिलाएं शामिल हैं	इसमें दो गैर-मुस्लिम शामिल हैं; सांसदों, पूर्व न्यायाधीशों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का मुस्लिम होना ज़रूरी नहीं है।

		निम्नलिखित सदस्यों का मुस्लिम होना ज़रूरी है: मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि, इस्लामी कानून के विद्वान, वक्फ बोर्डों के अध्यक्ष, मुस्लिम सदस्यों में से दो सदस्य महिलाएं होनी चाहिए
राज्य वक्फ बोर्ड	दो निर्वाचित मुस्लिम सांसद/विधायक/बार काउंसिल सदस्य; कम से कम दो महिलाएं	राज्य सरकार दो गैर-मुस्लिमों, शिया, सुन्नी, पिछड़े वर्ग के मुसलमानों, बोहरा और आगाखानी समुदाय से एक-एक सदस्य को मनोनीत करती है। कम से कम दो मुस्लिम महिलाओं का होना ज़रूरी है
न्यायाधिकरण की संरचना	न्यायाधीश के नेतृत्व में, जिसमें अपर जिला मजिस्ट्रेट और मुस्लिम कानून विशेषज्ञ शामिल हैं	मुस्लिम कानून विशेषज्ञ को हटाया गया; इसमें जिला न्यायालय के न्यायाधीश (अध्यक्ष) और एक संयुक्त सचिव (राज्य सरकार) शामिल हैं
न्यायाधिकरण के आदेशों पर अपील	केवल विशेष परिस्थितियों में उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप	उच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील की अनुमति
केंद्र सरकार की शक्तियां	राज्य सरकारें कभी भी वक्फ खातों का ऑडिट कर सकती हैं	केंद्र सरकार को वक्फ पंजीकरण, खातों और लेखा परीक्षा (सीएजी/नामित अधिकारी) पर नियम बनाने का अधिकार दिया गया है
संप्रदायों के लिए अलग-अलग वक्फ बोर्ड	शिया और सुन्नी के लिए अलग-अलग बोर्ड (यदि शिया वक्फ 15 प्रतिशत से अधिक है)	बोहरा और अगाखानी वक्फ बोर्ड को भी अनुमति दी गई है

7) संयुक्त समिति द्वारा अनुशंसित प्रमुख सुधार क्या हैं?

वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 (जेसीडब्लयूएबी) पर संयुक्त समिति द्वारा अनुशंसित वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन, प्रगतिशील सुधारों को पेश करते हैं, जिनमें शामिल हैं:

<u>वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 में प्रमुख सुधार</u>

i. **वक्फ से ट्रस्टों का पृथक्करण:** किसी भी कानून के तहत मुसलमानों द्वारा बनाए गए ट्रस्टों को अब वक्फ नहीं माना जाएगा, जिससे ट्रस्टों पर पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित होगा।

ii. **प्रौद्योगिकी और केंद्रीय पोर्टल:** एक केंद्रीकृत पोर्टल वक्फ संपत्ति प्रबंधन को स्वचालित करेगा, जिसमें पंजीकरण, ऑडिट, योगदान और मुकदमेबाजी शामिल है, जिससे दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। यह वक्फ प्रबंधन के स्वचालन के लिए प्रौद्योगिकी का कुशलतापूर्वक उपयोग भी करता है।

iii. **वक्फ समर्पण के लिए पात्रता:** केवल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम (कम से कम पांच साल से) ही अपनी संपत्ति वक्फ को समर्पित कर सकते हैं, जो 2013 से पहले के प्रावधान को बहाल करता है।

iv. **'उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ' संपत्तियों का संरक्षण:** पहले से पंजीकृत संपत्तियां वक्फ ही रहती हैं, जब तक कि विवादित न हों या सरकारी भूमि के रूप में पहचानी न जाएं।

v. **पारिवारिक वक्फ में महिलाओं के अधिकार:** महिलाओं को वक्फ समर्पण से पहले अपनी सही विरासत मिलनी चाहिए, जिसमें विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के लिए विशेष प्रावधान हैं।

vi. **पारदर्शी वक्फ प्रबंधन:** जवाबदेही बढ़ाने के लिए मुतवल्लियों को छह महीने के भीतर केंद्रीय पोर्टल पर संपत्ति का विवरण दर्ज करना होगा।

vii. **सरकारी भूमि और वक्फ विवाद:** कलेक्टर के पद से ऊपर का एक अधिकारी वक्फ के रूप में दावा की गई सरकारी संपत्तियों की जांच करेगा, जिससे अनुचित दावों को रोका जा सकेगा।

viii. **वक्फ न्यायाधिकरणों को मजबूत करना:** एक संरचित चयन प्रक्रिया और निश्चित कार्यकाल विवाद समाधान में स्थिरता और दक्षता सुनिश्चित करता है।

ix.. **गैर-मुस्लिम प्रतिनिधित्व:** समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्डों में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया जाएगा।

x.. **कम वार्षिक योगदान:** वक्फ बोर्डों में वक्फ संस्थानों का अनिवार्य योगदान 7 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे परोपकारी कार्यों के लिए अधिक धन उपलब्ध होगा।

xi. **परिसीमा अधिनियम का उपयोग:** परिसीमा अधिनियम, 1963 अब वक्फ संपत्ति के दावों पर लागू होगा, जिससे लंबें समय तक चलने मुकदमेबाजी कम होगी।

xii. **वार्षिक लेखा परीक्षा सुधार:** सालाना 1 लाख रुपये से अधिक कमाने वाली वक्फ संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा करानी होगी।
xiii. **मनमाने ढंग से संपत्ति के दावों को समाप्त करना:** यह विधेयक धारा 40 को हटाता है, जिससे वक्फ बोर्ड मनमाने ढंग से संपत्तियों को वक्फ घोषित करने से बाज़ आएंगे तथा पूरे गांव को वक्फ घोषित करने जैसे दुरुपयोग से बचा जाएगा।
इन मामलों ने वक्फ बोर्डों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मनमानी और अविनियमित शक्ति को रेखांकित किया। इसे संबोधित करने के लिए, वक्फ अधिनियम की धारा 40 को हटाया जा रहा है, जिससे वक्फ संपत्तियों का निष्पक्ष और न्यायपूर्ण प्रशासन सुनिश्चित हो सके।

8) गैर-मुस्लिम संपत्तियों को वक्फ घोषित किए जाने के कुछ उदाहरण क्या हैं?

सितंबर 2024 तक, 25 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के वक्फ बोर्डों के आंकड़ों से पता चलता है कि **5,973 सरकारी संपत्तियों** को वक्फ घोषित किया गया है। कुछ उदाहरणों में शामिल हैं:

• सितंबर 2024 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार, **108 संपत्तियां** भूमि और विकास कार्यालय के नियंत्रण में हैं, **130 संपत्तियां** दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियंत्रण में हैं और सार्वजनिक डोमेन में **123 संपत्तियों** को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया है और मुकदमेबाजी में लाया गया है।

• **कर्नाटक (1975 और 2020): 40 वक्फ संपत्तियों** को अधिसूचित किया गया, **जिनमें कृषि भूमि, सार्वजनिक स्थान, सरकारी भूमि, कब्रिस्तान, झीलें** और मंदिर शामिल हैं।
• पंजाब वक्फ बोर्ड ने **पटियाला में शिक्षा विभाग** की भूमि पर दावा किया है।

<u>वक्फ घोषित की गई अन्य गैर-मुस्लिम संपत्तियों के उदाहरण:</u>

• **तमिलनाडु:** थिरुचेंथुरई गांव का एक किसान वक्फ बोर्ड के पूरे गांव पर दावे के कारण अपनी जमीन नहीं बेच पाया। इस अप्रत्याशित आवश्यकता ने उसे अपनी बेटी की शादी के लिए ऋण चुकाने के लिए अपनी जमीन बेचने से रोक दिया।

• **गोविंदपुर गांव, बिहार:** अगस्त 2024 में, बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड के पूरे एक गांव पर दावे ने सात परिवारों को प्रभावित किया, जिसके कारण पटना उच्च न्यायालय में मामला चला। मामला विचाराधीन है।

• **केरल:** सितंबर 2024 में, एर्नाकुलम जिले के लगभग 600 ईसाई परिवार अपनी पुश्तैनी जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति में अपील की है।

• **कर्नाटक:** वक्फ बोर्ड द्वारा विजयपुरा में 15,000 एकड़ जमीन को वक्फ भूमि के रूप में नामित किए जाने के बाद किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। बल्लारी, चित्रदुर्ग, यादगीर और धारवाड़ में भी विवाद हुए। हालांकि, सरकार ने आश्वासन दिया कि कोई बेदखली नहीं होगी।

• **उत्तर प्रदेश:** राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा कथित भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के खिलाफ शिकायतें की गई हैं।

9) वक्फ संशोधन विधेयक 2025 से गरीबों को किस तरह लाभ मिलने की उम्मीद है?

वक्फ धार्मिक, धर्मार्थ और सामाजिक कल्याण की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खास तौर पर वंचितों के लिए। हालांकि, कुप्रबंधन, अतिक्रमण और पारदर्शिता की कमी के कारण इसका प्रभाव अक्सर कम हो जाता है। गरीबों के लिए वक्फ के कुछ प्रमुख लाभ:

पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए डिजिटलीकरण

• एक केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल वक्फ संपत्तियों को ट्रैक करेगा, जिससे बेहतर पहचान, निगरानी और प्रबंधन सुनिश्चित होगा।

• ऑडिटिंग और अकाउंटिंग उपायों से वित्तीय कुप्रबंधन को रोका जा सकेगा और यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि फंड का इस्तेमाल केवल कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए किया जाए।

कल्याण और विकास के लिए राजस्व में वृद्धि

• वक्फ भूमि के दुरुपयोग और अवैध कब्जे को रोकने से वक्फ बोर्डों के राजस्व में वृद्धि होगी, जिससे उन्हें कल्याणकारी कार्यक्रमों का विस्तार करने में मदद मिलेगी।

• स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आवास और आजीविका सहायता के लिए धन आवंटित किया जाएगा, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सीधे लाभ होगा।

• नियमित लेखा परीक्षा और निरीक्षण से वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा और वक्फ प्रबंधन में जनता का विश्वास मजबूत होगा।

10) **वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने से वक्फ प्रबंधन में क्या योगदान होता है और निर्णय लेने में उनकी भूमिका और प्रभाव की सीमा क्या है?**

• **गैर-मुस्लिम हितधारक:** दाता, वादी, पट्टेदार और किरायेदार वक्फ प्रबंधन में शामिल होते हैं, इसलिए निष्पक्षता के लिए वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी) में उनका प्रतिनिधित्व आवश्यक है।

• **धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों का विनियमन:** धारा 96 केंद्र सरकार को वक्फ संस्थानों के शासन, सामाजिक, आर्थिक और कल्याणकारी पहलुओं को विनियमित करने का अधिकार देती है, जिसकी पुनः पुष्टि न्यायालय के फैसलों से होती है।

• **केंद्रीय वक्फ परिषद की निगरानी भूमिका:** सीडब्ल्यूसी राज्य वक्फ बोर्डों की निगरानी करता है, वक्फ संपत्तियों पर सीधे नियंत्रण के बिना अनुपालन सुनिश्चित करता है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि वक्फ प्रबंधन धार्मिक पहलुओं से परे आर्थिक और वित्तीय विनियमन तक फैला हुआ है।

• **गैर-मुस्लिम प्रतिनिधित्व:**

राज्य वक्फ बोर्ड: 11 सदस्यों में से 2 (पदेन सदस्यों को छोड़कर) गैर-मुस्लिम हो सकते हैं।

केंद्रीय वक्फ परिषद: 22 सदस्यों में से 2 (पदेन सदस्यों को छोड़कर) गैर-मुस्लिम हो सकते हैं।

• हालांकि निर्णय बहुमत से किए जाएंगे, लेकिन गैर-मुस्लिम सदस्य प्रशासनिक और तकनीकी विशेषज्ञता का योगदान दे सकते हैं, जिससे वक्फ संस्थानों की दक्षता और शासन में सुधार होगा।

***